न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/7

1. रामजीलाल
2. रामस्वरूप
3. हरचन्द पुत्रान सुगाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बुवास (टसकोला) तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।

–अपीलांट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, पावटा तहसील पावटा जिला जिला कोटपूतली– बहरोड राज0
2. तहसीलदार, पावटा तहसील पावटा जिला जिला कोटपूतली– बहरोड, राज0।
3. पटवारी हल्का, पावटा तहसील पावटा जिला जिला कोटपूतली– बहरोड, राज0।

– रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, पावटा हाल जिला कोटपूतली बहरोड प्रार्थना पत्र संख्या 20/2023 दिनांक 03.07.2023 उनवानी राज0 सरकार बनाम ओमप्रकाश वगै0 निर्णय दिनांक 03.07.2023

उपस्थित-

1. श्री हेमन्त दीक्षित वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 1 से 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक--19.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 03.07.2023 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम बुवास तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 124/148 में ...

संभागीय आयुक्त
जयपुर

0.04, 187/123 में से 0.05, 189/1.44 में से 0.0310, 120/0.76 में से 0.034 है0भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु अभिशंसा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 03.07.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स रामजीलाल पुत्र सुग्गाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 03.07.2023 निरस्त कर प्रकरण दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति का सही अवलोकन करते हुये प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड स्थित आराजी खसरा नबर 124/148 में से 0.04, 187/123 में से 0.05, 189/1.44 में से 0.0310, 120/0.76 में से 0.034 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। खसरा नंम्बर 124 के अपीलांट्स काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी, पावटा ने अपीलान्ट्स खातेदारान् को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, पावटा द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.05.2023 के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिसके संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत एव सरपंच की कोई अनापत्ति भी नहीं ली गई। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया, ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान् के संबंध में खातेदारों ने कोई सहमति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हैं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमे सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि मे कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 03.07.2023 निरस्त कर प्रकरण दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति का सही अवलोकन करते हुये प्रतिप्रेषित किया जावे।

6 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनाक 30.05.2023 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अत न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स खसरा नम्बर 124 के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं उन्हे बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा तहसीलदार पावटा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु अभिशंसा के आधार पर ही भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं।इस संबंध में अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। चूंकि खसरा नम्बर 124 के अपीलांट्स रिकार्डेड खातेदार हैं एवं अपीलांट्स की खातेदारी खसरा नम्बर 124 में से बिना अपीलांट्स को पक्षकार बनाये एवं बिना सहमति के रास्ता निकाला गया है जो कि अनुचित है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस दिया और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया ना ही अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड का निर्णय दिनांक 03.07.2023 अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर रिकार्ड व मौके का सही अवलोकन करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(रश्मि गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर